रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर, 28, 1985/पौष 7, 1907
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1985/PAUSA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories).

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1985

आदेश

आ.अ 107 :—यत. निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 7 अक्तूबर 1983 के आदेश सं. 76/कर्नाटक/83 (89-123) द्वारा जनवरी, 1983 में हुए कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 60-गुब्बी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नंजेगौड़ा, सुपुत्र सीनिंगप्पा, मारनहल्ली, गुब्बी तालुक, कर्नाटक, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया था,

यत., तत्पश्चात् यह पता चला था कि श्री नंजेगौड़ा, ने 4-2-1983 को लेखा संबंधी विवरण दाखिल कर दिया था ;

यत श्री गौड़ा ने निरर्हता को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका अर्जी (1985 की संख्या 2401) दाखिल की और उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 3 अक्तूबर 1985 के आदेश द्वारा निरर्हता को रद्द कर दिया और आयोग को निदेश दिया कि वह लेखा की संवीक्षा करे और विधि के अनुरूप इस विषय पर निर्णय करे,

और यत: संवीक्षा करने पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गौड़ा ने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के भीतर और विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल कर दिया था और तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले दी गई रिपोर्ट, कि श्री गौड़ा ने कोई लेखा दाखिल नहीं किया, के आधार पर दिए गए उपर्युक्त आदेश को रद्द करने का निर्णय किया है ;

अत. अब निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में प्राप्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अपने, तारीख 7 अक्तूबर, 1983 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करने का निदेश देता है :—

"आदेश के नीचे दी गई सारणी में क्रम सं. 105 के सामने दी गई प्रविष्टियां समाप्त कर दी जाएंगी। क्रम संख्या 106 से 123 तक को 105 से 122 तक पुनः संख्यांकित किया जाएगा।"

उपर्युक्त संशोधन 7 अक्तूबर, 1983 से प्रभावी समझा जाएगा।

[सं० 76/कर्नाटक/85]

आदेश से,

सी. एल. राज सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th December, 1985

ORDER

O.N. 107.—Whereas the Election Commission vide its Order No. 76/KT/83(89-123) dated the 7th October, 1983 had disqualified Shri Nanjegowda S/o Marisiddaiah, Sagaranahalli, Gubbi taluk, Karnataka, contesting candidate at the general election to the Karnatak Legislative Assembly held in January, 1983 from 60-Gubbi Assembly Constituency for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of that order;

Whereas it subsequently transpired that Shri Nanjegowda has filed a statement of account on 4-2-1983;

Whereas Shri Gowda filed a writ petition before the Karnataka High Court (No. 2401 of 1985) challenging the disqualification and the High Court quashed the disqualification Order vide its order 3rd October, 1985 and directed the Commission to scrutinise the account and decided the subject in accordance with the law;

And whereas on scrutiny, the Commission is satisfied that Shri Gowda has filed the account of election expenses within the time and in the manner required by law and accordingly decided to annul the above order made on the basis of the earlier report of the District Election Officer that Shri Gowda had not filed any account;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on the Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling the Commission in that behalf, the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its order dated the 7th October, 1983:—

"In the Table below the Order, the entries against Serial No. 105 shall be deleted. The Serial Nos. 106 to 123 shall be renumbered as 105 to 122".

The above amendment shall be deemed to be effective with effect from 7th October, 1983.

[No. 76/KT/85]

By Order,

C. L. ROSE, Secy.
Election Commission of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985